जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 17-07-2021

आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता उमेश उर्फ सोनू पुत्र बेचू निवासी अव्वलकेवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 177 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0का0 फखरुद्दीन, का0 नीतेश कुमार।

01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता अजहरुद्दीन पुत्र रियाजुल्लाह निवासी दशावा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र रमेश निवासी रामलीला मैदान थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 487 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री शशिकान्त तिवारी, हे0का0 भोला यादव।

बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 16/21 धारा 363/366/376/120(बी) भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता रामशंकर पुत्र भोला निवासी छिकरी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.02.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 17.07.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 सचिन कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, म0का0 पूजा देवी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत छितही से इवेन्ट संख्या 06006 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में एक महिला (शाहिन खातून पत्नी महबूब आलम ग्राम छितही) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 03 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुई महिला को अस्पताल भेजवाया गया तथा वादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 रमेश सिंह यादव, आ0 शुभम कुमार गुप्ता, हे0चा0 भीम कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 65000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनो से 65000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।